

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...5.06.../2023

14.09.2023

आवेदिका श्रीमती मीरा देवी पति श्री सुनिल कुमार ठाकुर, साकिन-बजरंग नगर, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किरम
मोरियावा	02	30	2784	10 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...21.../...09.../2023 को प्रस्तुत करें।

14/09/23  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

21.09.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-30 प्लॉट, सं०-2784, रकवा-10 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-88 भाग संख्या-21 पर श्रीमती मीरा देवी पति श्री सुनिल कुमार ठाकुर के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-3422/2018-19 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि केवाला सं०-2558 दिनांक -15.09.2017 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-09 दिनांक 06.07.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

21/09/23  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा